

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, फतेहपुर

पत्रांक - 1987 / 27-4 फतेहपुर, दिनांक - 23 / 12 / 2020

सेवा में,

श्री परवेज फारुक अंसारी,
एरिया मैनेजर, विन्ध्य टेलीलिक्स लि0,
कानपुर कलस्टर कानपुर।

विषय :- विन्ध्य टेली लिन्क्स लि0 द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद-अमौली-जोनिहा चौराहा - शहबाजपुर, जोनिहा चौराहा-बंधवा तिराहा-बंधवा-ललौली, बंधवा तिराहा-बहुआ तक कुल लम्बाई 72.50 किमी0 एवं 0.7511 हे0 वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का पत्र संख्या 2297 / 81-2-2020-800(49) / 2020 दिनांक 23.12.2020।

उपरोक्त विषयांकि प्रस्ताव में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का पत्र संख्या-2297 / 81-2-2020-800(49) / 2020 दिनांक 23.12.2020 द्वारा 17 बिन्दुओं के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है, छायाप्रति संलग्न है।

अतः जारी की गई समस्त बिन्दुओं का अनुपालन पूर्ण करते हुये अनुपालन आख्या ऑन लाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करवा पांच प्रतियों में वांछित वचन बद्धता प्रमाण पत्र सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे कि प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

साथ ही प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे कि उनके द्वारा सैद्धान्तिक शर्तों में निहित किसी भी शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

संलग्नक - उपरीक्तानुसार।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
30 प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, 23 दिसम्बर 2020

विषय- जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद-आमौली-जोनिहा चौराहा-शहबाजपुर जोनिहा चौराहा-बंधवा तिराहा-
बंधवा-ललौली, बंधवा तिराहा-बहुआ तक की कुल लम्बाई 72.50 किमी० एवं 0.7511 हे० वन भूमि
में बिना वृक्ष पातन के ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने की अनुमति के सम्बंध में। प्रस्ताव
सं०-FP/UP/ओएफसी/33502/2018)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-981/11-सी/एफपी/यूपी/ओएफसी/33502/2018,
दिनांक 27-10-2020 एवं पत्र संख्या-1650/11-सी/एफपी/यूपी/ओएफसी/33502/2018, दिनांक 14-02-
2020 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश संख्या- 11-9/98-एफसी, दिनांक 07-9-2015 में विहित व्यवस्थानुसार
विन्ध्य टेलीलिंक्स लि० द्वारा जनपद फतेहपुर में कोड़ा जहानाबाद-आमौली-जोनिहा चौराहा-शहबाजपुर
जोनिहा चौराहा-बंधवा तिराहा-बंधवा-ललौली, बंधवा तिराहा-बहुआ तक की कुल लम्बाई 72.50 किमी० एवं
0.7511 हे० वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने की अनुमति की
सैद्धांतिक स्वीकृति एतद्वारा निम्न शर्तों /प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं-

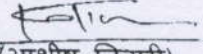
- (1) सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
- (2) ओ०एफ०सी० केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही बिछाये जायेंगे।
- (3) ओ०एफ०सी० केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।
- (4) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
- (5) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

- (6) वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
- (7) प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
- (8) भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
- (9) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी⁰ तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।
- (10) प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- (11) प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
- (12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।
- (13) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा⁰ उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।
- (14) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (15) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो
- (16) वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

- (17) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबंधों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बंधी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के पश्चात सुसंगत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या- 2297 /81-2-2020-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
- (2)- वन संरक्षक प्रयागराज।
- (3)- जिलाधिकारी, फतेहपुर।
- (4)- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फतेहपुर।
- (5)- श्री परवेज फारूक अंसारी एरिया मैनेजर, विंध्य टेलीलिकस लि०, कानपुर कलस्टर कानपुर।
- (6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आर०पी०सिंह)
अनुसचिव।

कार्यालय, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सिद्धार्थनगर।
पत्रांक- 625 /10-1 दिनांक : सिद्धार्थनगर अगस्त 28 /2020.
सेवा के

एरिका मैनेजर
विन्ध्या टेली लिक्स लि०
इंजीनियरिंग डिबिजन
फ्लोर नं०-६-237, टावर सीन्स
बड्डे फ्लोर फेज-VIII B
Industrial Area Mohali-1600055
पंजाब।

विषय- सिद्धार्थनगर जनपद में लुम्बिनी दुद्धी मार्ग के दोनों तरफ 10-10 किमी० कुल 20 किमी० क्षेत्र में तीन लाइनो में वृक्षारोपण किये जाने हेतु धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- वन संरक्षक बस्ती वृत्त, बस्ती का पत्रांक-392/6-3-3 दिनांक 20.08.2020 एवं आपका पत्रांक-25/वी०टी०एल० ओ०एफ०सी०/आर०ओ०डब्ल्यू०, दिनांक 25.08.2020.

महोदय,

अवगत कराना है कि वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती के उपरोक्त पत्र के अनुपालन में विन्ध्या टेलीलिक्स लिमिटेड कम्पनी द्वारा उ०प्र० सरकार के शासनादेश सं०-3544/14-2-2008 व मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-88/11सी, दिनांक 10.07.2020 के अनुक्रम में सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग के दोनों तरफ 10-10 किमी० कुल 20 किमी० क्षेत्र में तीन लाइनो के लिए वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत योजना/प्राक्कलन के अनुसार ₹०-80,37,000.00 (₹०-अस्सी लाख सैतिस हजार मात्र) की धनराशि दिनांक 24.08.2020 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सिद्धार्थनगर के पंजाब नेशनल बैंक, उसका रोड, सिद्धार्थनगर जिसका आई०एफ०एस०सी० कोड PUNB0396300 एवं खाता संख्या 3963001100000092 में NEFT के माध्यम से जमा करा दिया गया है।

उक्त धनराशि की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

28.08.20
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर।

संख्या / उक्त दिनांकित
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2- वन संरक्षक, बस्ती वृत्त बस्ती।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सिद्धार्थनगर।

PAYMENT ADVICE
VINDHYA TELELINKS LIMITED 296
2ND FLOOR COMMERCIAL PLAZA NH8
RADISSON BLU PLAZA MAHIPALPUR
NEW DELHI
110037

Beneficiary's Name :Divn Dir Social Forestry Division

Beneficiary's Code :

Beneficiary's Address :

Client Ref No :413009

Date :24/08/2020

Bank Reference No :N237201222118518

We have initiated a credit to the Account Number 3963001100000092 for the amount of Rs.8037000 through NEFT for the below mentioned details.

IFC Code :PUNB0396300

Micr Code :

Beneficiary Bank Name :

Beneficiary Brn Name :

Payment Details 1 :

Payment Details 2 :

Payment Details 3 :

Payment Details 4 :

Payment Details 5 :

Payment Details 6 :

Payment Details 7 :

This is Computer generated advice. Does not require any signature.